

18.05.16

पल्लवली कोर्ट रोड - कडमंडुडा

में पेश हुई। पल्लवली में निर्णय

अलग में लिखा जाकर शामिल

पल्लवली किया गया।

पल्लवली के मूल शुमार हो कर

दो नम्बर में कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीलवाड़ा

1 शम्भुगिरी पिता नन्दगिरी गुसाई निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

- 1 रामेश्वर पिता बालु जाट निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा
- 2 शंकर पिता रामेश्वर जाट निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा
- 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 18.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 22.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआकला प0म0 महुआकला तहसील भीलवाडा मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 3471/1, 347/3, 503/1, 955, 966, 2709/966 कुल किता 6 कुल रकबा 9-03 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 22.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील भीलवाडा ग्राम महुआकला प0म0 महुआकला मे स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ0न0 न0 3471/1, 347/3, 503/1, 955, 966, 2709/966 कुल किता 6 कुल रकबा 9-03 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 1000/-रु0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 18.05.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा (राज.)